



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi

Website : www.rbi.org.in

ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

31 अगस्त 2026

बैंक ऋण का क्षेत्रवार अभिनियोजन – जुलाई 2026

वर्ष 2026 के जुलाई माह के लिए 41 चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) से जुटाए गए बैंक ऋण के क्षेत्रवार अभिनियोजन संबंधी आंकड़े, जो सभी एससीबी¹ के कुल खाद्येतर ऋण का लगभग 95 प्रतिशत होता है, [विवरण I और II](#) में दिए गए हैं।

वर्ष-दर-वर्ष (व-द-व) आधार पर, खाद्येतर बैंक ऋण² 31 जुलाई 2026 को समाप्त पखवाड़े की स्थिति के अनुसार 19.1 प्रतिशत की दर से बढ़ा, जबकि यह पिछले वर्ष (अर्थात्, 25 जुलाई 2025) के इसी पखवाड़े में 9.9 प्रतिशत था।

31 जुलाई 2026 को समाप्त पखवाड़े की स्थिति के अनुसार बैंक ऋण के क्षेत्रवार अभिनियोजन की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:

- कृषि और संबद्ध कार्यकलापों हेतु प्रदत्त ऋण में 17.0 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई, जबकि यह पिछले वर्ष के इसी पखवाड़े में 7.3 प्रतिशत थी।
- उद्योग क्षेत्र को प्रदत्त ऋण में 20.0 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई (पिछले वर्ष के इसी पखवाड़े में यह 6.5 प्रतिशत थी)। जहां, 'बड़े' और 'मध्यम' उद्योगों को प्रदत्त ऋण में तेजी से वृद्धि हुई, वहीं 'सूक्ष्म और लघु' उद्योगों में स्थिर वृद्धि देखी गई। प्रमुख उद्योगों में, 'आधारभूत संरचना', 'मूल धातु एवं धातु उत्पाद', 'सभी अभियांत्रिकी', 'रसायन और रासायनिक उत्पाद' पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और परमाणु ईंधन तथा 'वस्त्र' उद्योगों को प्रदत्त ऋण में वर्ष-दर-वर्ष मजबूत वृद्धि देखी गई।
- सेवा क्षेत्र को प्रदत्त ऋण में 22.9 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई (पिछले वर्ष के इसी पखवाड़े में यह 10.2 प्रतिशत थी), जिसे 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों' (एनबीएफसी), 'व्यापार' और 'वाणिज्यिक स्थावर संपदा' जैसे क्षेत्रों में तेजी से हुई वृद्धि से मदद मिली।

¹ आंकड़े महीने के अंतिम रिपोर्टिंग पखवाड़े से संबंधित हैं, जो क्षेत्रवार और उद्योग-वार बैंक ऋण (एसआईबीसी) विवरणी पर आधारित हैं। 31 दिसंबर 2025 से, बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम 2025 के तहत अंतिम रिपोर्टिंग पखवाड़े की परिभाषा को बदलकर महीने का अंतिम दिन कर दिया गया है। तदनुसार, दिसंबर 2025 से वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दरें चालू वर्ष के लिए महीने के अंत के आंकड़ों और पिछले वर्ष के इसी महीने के लिए अंतिम रिपोर्टिंग पखवाड़े (पुरानी परिभाषा के अनुसार) के आंकड़ों पर आधारित हैं।

² खाद्येतर ऋण संबंधी आंकड़े धारा-42 विवरणी पर आधारित हैं, जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) शामिल हैं।

- वैयक्तिक ऋण क्षेत्र हेतु प्रदत्त ऋण में 16.2 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई, जबकि यह एक वर्ष पहले 11.9 प्रतिशत थी। जहां 'आवास' और 'वाहन ऋण' जैसे क्षेत्रों में दो अंकों में वृद्धि बनी रही, वहीं 'क्रेडिट कार्ड बकाया' और 'स्वर्ण आभूषण के बदले ऋण' के मामले में वृद्धि धीमी हुई।

प्रेस प्रकाशनी: 2026-2027/999

अजीत प्रसाद
उप महाप्रबंधक (संचार)